राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प.4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 जयपुर, दिनांक 26/7/06

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
   विशिष्ट शासन सचिव/शासन उप सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

परिपत्र

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम,1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के दण्डों का कार्मिक की पदोन्नति पर प्रभाव ।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर लघु अथवा वृहद दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं अथवा हानि की वसूली की जाती है जिसका प्रभाव सम्बन्धित राजकर्मी की पदोन्नति पर भी पड़ता है।

उक्त दण्डों से किसी कार्मिक की पदोन्नति पर क्या प्रभाव होगा इस संबंध में कोई नियम/आदेश या परिपत्र जारी किया हुआ नही है जिसके अभाव में कई नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर प्रकरण कार्मिक विभाग को राय/मार्गदर्शन हेतु प्राप्त होते हैं । अतः भविष्य में पदोन्नतियों पर इन दण्डों का प्रभाव न्यायोचित एवं तर्कसंगत हो, इस हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

पदोन्नति के प्रकरणों में कार्मिक को दिए गए दण्ड का प्रभाव निम्नानुसार होगाः–

क्र. सं.	दण्ड का प्रकार	पदोन्नति पर प्रभाव	टिप्पणी
1.	परिनिन्दा का दण्ड	एक परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण में अलग–अलग प्रभाव अर्थात एक से अधिक प्रकरणों में दण्ड दिया जाता है तो कार्मिक को पदोन्नति से उतनी ही बार वंचित किया जायेगा ।
2.	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के एक दण्डादेश हेतु एक बार पदोन्नति रोकना	
3.	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	एक दण्डादेश से जितनी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड है उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण/आदेश का अलग अलग प्रभाव ।
4.	पदोन्नति रोकने का दण्ड	जितने वर्षों हेतु पदोन्नति रोकी गई है उतने वर्षों तक पदोन्नति से वंचित करना	यदि पदोन्नति रोकने के दण्डादेश में समय का उल्लेख नहीं हो तो सात वर्षों तक पदोन्नति रोकना।

5.	लापरवाही, किसी विधि,नियम,आदेश भंग करने से सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली	हानि वसूली के प्रत्येक प्रकरण हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित करना	
6.	निम्नतर सेवा/ग्रेड/पद पर/निम्नतर काल वेतनमान(Time Scale) में /काल वेतनमान(Time Scale) में नीचे के प्रक्रम पर अवनत कर देना ।	दण्डादेश की दिनांक से अगले 7 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित करना ।	

इस संबंध में यह भी लेख है कि भविष्य में किसी कार्मिक की आवश्यक अस्थाई पदोन्नति या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के प्रकरण में किसी कार्मिक को दिये गये उक्त दण्डों के संबंध में निम्न प्रकिया की पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है :–

1. दण्डादेशों के प्रभाव हेतु रिक्ति वर्ष के पूर्व के 7 वर्षो का रिकार्ड देखा जायेगा और इन सात वर्षो में सबसे पुराने दण्डादेश का प्रभाव सबसे पहले तथा उसके बाद के दण्डादेश का प्रभाव बाद में लागू होगा ।

2. उक्त दिशा–निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माने जायेंगे । इन दिशा–निर्देशों के सन्दर्भ में पूर्व में निस्तारित प्रकरण को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा पूर्व वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति यदि इस परिपत्र के जारी होने के बाद आयोजित होती है, तो उसमें भी पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि कृपया भविष्य में होने वाली पदोन्नतियों में उक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराई जावे ।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

[1/06]

शासन उप सचिव

12/06